न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 15/20 सन् 2020

GCMS NO-2020/00109

बउनवानीः—रामदयाल पुत्र केसरा मीना निवासी सीतारामपुरा तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 19 निर्णय दिनांक 8.6.1992 वाके ग्राम ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री हंसराज यादव — वकील अपीलान्ट

2. श्री तोफीक मोहम्मद — पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— दिनांक 23.02.2021

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 19 निर्णय दिनांक 8.6.1992 वाके ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि ग्राम ईसरदा मे स्थित कृषि भूमि साबिक ख.न. 16,65,52,50,51,326, 183,182,204,169/2 अपीलान्ट के पिता केसरा पुत्र श्योकरण मीना निवासी सीतारामपुरा की खातेदारी की भूमि है। अपीलान्ट के पिता केसरा की मृत्यु के बाद उसकी छोडी गयी उक्त कृषि भूमि का विरासत का नामा0 संख्या 19 दिनांक 8.6.1992 मदन,श्योराज, भजन, दयाल पिसरान केसरा , मनभर बेवा केसरा, चम्पा, कमला, पुत्रिया केसरा मीना हिस्सा बराबर दर्ज किया गया। जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2057 मे दर्ज किया गया। किन्तु उक्त नामा0 तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा मजमे आम मे जॉच कर तस्दीक नही किया क्योकि मृतक केसरा पुत्र श्योकरण के विरासत का नामा0 के दौरान अपीलान्ट का नाम रामदयाल पिसरान केसरा के स्थान पर दयाल पिसरान केसरा दर्ज कर दिया जो कि गलत है। जबकि अपीलान्ट का सही नाम रामदयाल पुत्र केसरा है कथन के समर्थन मे मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10 व 12 कक्षा की अंक तालिका, मतदाता पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रतियॉ भी प्रस्तुत की गयी। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट का नाम रामदयाल की जगह दयाल होने की जानकारी दिनांक 20.8.2020 को कृषि भूमि पर ग्रीन हाउस की पत्रावली हेतु जमा0 की नकल एवं नामा0 की नकल लेने पर हुई है। अतः जानकारी से ... दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:44:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रथम तो अपील मयाद बाहर है तथा अपील मे सभी सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है इसके अतिरिक्त यदि अपीलान्ट का नाम गलत है तो दयाल को रामदयाल कराने हेतु घोषणा का दावा सक्षम न्यायालय मे करना चाहिए था। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 19 दिनांक 8.6.1992 को तस्दीक करते समय मृतक केसरा पुत्र श्योकरण मीना निवासी सीतारामपुरा के विधिक वारिसान के सही नाम की जानकारी नही की गयी है। उक्त नामा0 मजमे आम मे नही खोला गया है क्योकि यदि नामा0 मजमे आम मे खोला जाता तो अपीलान्ट के सही नाम की पृष्टि तत्समय हो सकती थी। पैरोकार राजस्व का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया है इसलिए अपीलान्ट का नाम सही करने से पूर्व सहखातेदारान की सहमति लेना उचित प्रतीत होता है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार अपीलान्ट का सही नाम रामदयाल पुत्र केसरा है जबकि आदेश जैर अपील मे अपीलान्ट का नाम दयाल पुत्र केसरा दर्ज किये जाने के कारण आदेश जैर अपील विधिसम्मत नही है। इसलिए अपीलान्ट के सही नाम की पुष्टि करने हेतु प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक केसरा के सभी वारिसान की सहमति ली जाकर एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार अपीलान्ट के नाम मे संशोधन किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:44:04 IST
Reason: SelfAttested